न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14/2019

रामगोपाल रेगर एक्स ए.टी.ओ. देवली 2/86 हाउसिंग बोर्ड–टोंक जिला–टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 20–5–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी टोंक को दिनांक 18–3–2019 को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी किन्तु सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 231–32 दिनांक 25–3–2019 से अन्तरित कर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलान्ट द्वारा कोषाधिकारी टोंक से निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:–

1–निदेशक,कोष एंव लेखा राज0 जयपुर के पत्रांक एफ5(ग–27)कोष/बजट/टोंक/।।। 1677 दिनांक 27–7–2018 जो कोषाधिकारी टोंक को श्री रामगोपाल रेगर एक्स ए.टी.ओ. देवली के मेडिकल बिलों की जॉच हेतु प्राप्त सभी बउचर्स की छाया प्रति।
2–कोषाधिकारी टोंक के पत्रांक 643 दिनांक 16–8–2018 के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की छाया प्रति।

3–कोषाधिकारी टोंक श्री रामअवतार शर्मा जो कि राजकीय सेवा में आने की तिथि से आदिनांक तक कि–किस विभाग /कार्यालय में किस–किस पद पर पदस्थापित रहे की सूचि उपलब्ध करावें।

4–जॉच अधिकारी रामअवतार शर्मा कोषाधिकारी टोंक ने श्री रामगोपाल रेगर एक्स ए.टी.ओ. देवली के मेडिकल बिलों की जॉच हेतु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय चिकित्सालय दूवली/दूनी को जॉच हेतु उपलब्ध कराये गये पत्र एंव उनके साथ उपलब्ध कराये गये बाउचर्स की छाया प्रति।

5–श्री रामअवतार शर्मा कोषाधिकारी टोंक द्वारा धारित ऐसी तकनीकी योग्यता जिसमें श्री रामअवतार शर्मा कोषाधिकारी टोंक द्वारा हस्ताक्षरों की जॉच की विशेषज्ञता की हो तो उस योग्यता प्रकाण पत्र जो कि किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से प्राप्त किया हो तो उसकी प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 395 दिनांक 9–5–2019 से जवाब तलब किया गया। कोषाधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 92 दिनांक 16–5–2019 से अवगत कराया है कि आवेदक को पत्र कमांक 31–32 दिनांक 8–4–2019 से जवाब भिजवा दिया गया है। जवाब की प्रति अपीलार्थी ने अपील के साथ भी संलग्न की है। कोषाधिकारी टोंक ने यह भी अवगत कराया कि कार्यालय द्वारा जॉच रिपोर्ट के साथ समस्त रिकार्ड/बाउचर्स वगैरह निदेशालय कोष एंव लेखा राज0 जयपुर को भिजवा दिये गये हैं। कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है तथा अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में पत्र कमांक 106 दिनांक 16–5–2019 से भी सूचित भी किया जा चुका है। चूँकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है तथा एक प्रति पुनः प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner